

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड -3, उपखंड) -i (में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना संख्या 73 /2019 (टे.गै) कस्टम-

नई दिल्ली, दिनांक 9th अक्टूबर 2019

सानि.का. सीमाशुल्क अधिन - . (अ) ियम, 1962 (1962 का के साथ पठित 84 की धारा (52 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 157 धारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, कूरियर आयात एवं निर्यात विनियमावली (क्लीयरेंस), 1998 में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा

1.)1(इन विनियमों को कूरियर आयात एवं निर्यात द्वितीय संशोधन विनियमावली (क्लीयरेंस), 2019 कहा जाएगा
2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे (
2. कूरियर आयात एवं निर्यात विनियमावली (क्लीयरेंस), 1998 के प्रारंभिक पैरा ग्राफ में, शब्द और अंक "धारा 157" के स्थान पर शब्द और अंक," धारा 157 के साथ पठित धारा 84" को प्रतिस्थापित किया जाएगा"।

[फा .सं. 450/4/2013- कस्टमस-IV]

ज़ुबेर रियाज़

(जुबेर रियाज़)
निदेशक (सीमाशुल्क)

नोट प्रधान विनियमावली - :[अधिसूचना संख्या 87/98 (टे.गै) सीमाशुल्क-, दिनांक 09 नवंबर 1998] को सा .नि.का. 662 (अ), दिनांक के तहत 1998 नवंबर 09 भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड -3, उपखंड) -i16 में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या (/2019- सीमाशुल्क (टे.गै), दिनांक 2019 फरवरी 27, सा159 नि.का.) अ(, दिनांक के त 2019 फरवरी 27 हत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है ।